

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 07.08.2024 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 158/24 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व 3/4(1) पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त पिंटू पुत्र स्व0 हाकिमसिंह नि0 बक्सीडेरा थाना सिकन्दरा का0दे0 को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 159/24 धारा 305 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण रिकू पुत्र भवानी नि0 मो0 आजादनगर कस्बा सिकन्दरा का0दे0 2. अंकित पुत्र बऊआलाल नि0 शास्त्रीनगर कस्बा सिकन्दरा को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना डेरापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 38/19 धारा 60(2) आब0 अधि0 व 272 भादवि0 से सम्बन्धित वारंटी अभियुक्त विनोद पुत्र बदलू नि0 लाड़पुर पैठ थाना डेरापुर का0दे0 को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 187/24 धारा 137(2)/87 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रज्जन पुत्र रामपाल नि0 सरिया का पुरवा जिगना थाना मंगलपुर का0दे0 को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 237/24 धारा 317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1.फैज आलम पुत्र परवेज आलम नि0 जूही सफेदकालोनी थाना किदवईनगर कानपुर नगर 2.राजू उर्फ निहाल पुत्र रहीश नि0 काशीराम कालोनी रामादेवी थाना चकेरी कानपुर नगर को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.फैज आलम पुत्र परवेज आलम निवासी जूही सफेद कालोनी थाना किदवई नगर जनपद कानपुर नगर उम्र लगभग 22 वर्ष 2. राजू उर्फ निहाल पुत्र रहीश निवासी कांशीराम कालोनी रामा देवी थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर उम्र लगभग 26 वर्ष के कब्जे से 01 अदद मोटरसाइकिल चोरी की बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 237/2024 धारा 317(2)/317(4)/317(5) BNS पंजीकृत विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 14 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना अमराहट पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना राजपुर पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति तथा थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।